गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत मा0 मंत्री जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित "स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड" की 10वीं बैठक दिनांक 21 अप्रैल 2015 का कार्यवृत्त।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत गठित "स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड" की 10वीं बैठक दिनांक 21 अप्रैल 2015 को सांयकाल 04.00 बजे से विधान भवन (मुख्य भवन), लखनऊ स्थित कक्ष संख्या 80 में श्री अहमद हसन, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही:-

(1) श्री अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव, -उपाध्यक्ष
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) श्री अब्दुल शाहिद,
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, -सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन।

(3) श्री अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, -सदस्य
उत्तर प्रदेश शासन।

(4) डा0 मीनू सागर,
निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0। -सदस्य सचिव

(5) डा0 रेणुका मिश्रा,
अपर निदेशक, -विशेष आमंत्रित
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।

(6) प्रो0 राजेश मिश्रा,
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, -सदस्य
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(7) डा0 मधु गुप्ता,
मा0 सदस्या, विधान परिषद, उ0प्र0। –सदस्या

(8) श्रीमती फसीहा मुरादा लारी, गजाला,
मा0 सदस्या, विधान सभा, उ0प्र0। –सदस्या

(9) डा0 (श्रीमती) पी0के0 मिश्रा,
बाल रोग विशेषज्ञ, लखनऊ। –सदस्या

(10) डा0 शुभा फड़के,
आनुवांशिक विशेषज्ञ, –सदस्या
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।

(11) डा0 नीलम सिंह,
मुख्य कार्यकारी, वात्सल्य, लखनऊ। –सदस्या

(12) सुश्री सुजाता दुबे,
परियोजना समन्वयक, –सदस्या
बेटी फाउण्डेशन, महानगर, लखनऊ।

(13) डा0 मनोज गोविला,
रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ –विशेष आमंत्रित

(14) डा0 वी0एस0 तोमर,
संयुक्त निदेशक (परिवार कल्याण), –विशेष आमंत्रित
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।

(15) डा0 राम अधार,
संयुक्त निदेशक (परिवार कल्याण), –राज्य नोडल अधिकारी
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।

(16) डा0 पंकज सक्सेना,
उपमहाप्रबन्धक, पी0सी0पी0एन0डी0टी0, –विशेष आमंत्रित
एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।

(17) श्री नवीन गुप्ता,
मार्केटिंग पार्टनर, –विशेष आमंत्रित
मार्ग साफ्टवेयर, लखनऊ।

(18) सुश्री स्नेहा गुप्ता,
साफ्टवेयर इन्जीनियर, –विशेष आमंत्रित
मार्ग साफ्टवेयर, लखनऊ।

सर्वप्रथम श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मा0 मंत्री जी तथा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक आरम्भ की गयी।

एजेण्डा मद संख्याः–01
(गत् बैठक दिनांक 30 मई 2014 की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन आख्या)

सर्वप्रथम बोर्ड द्वारा गत् बैठक दिनांक 30 मई 2014 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। तदोपरान्त श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन / उपाध्यक्ष महोदय व डा0 मीनू सागर, निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 / सदस्य सचिव महोदया द्वारा संयुक्त रूप से गत् बैठक दिनांक 30 मई 2014 में दिये गये निर्देशों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसके अधिकांश बिन्दुओं पर बोर्ड द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया। अनुपालन आख्या के लिंग अनुपात के आँकड़ों से सम्बन्धित बिन्दु पर एनवल हैल्थ सर्वे वर्ष 2010-11, 2011-12 व 2012-13 के आँकड़े बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर डा0 नीलम सिंह, मुख्य कार्यकारी, वात्सल्य द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि यह सर्वे मात्र 33,000 परिवारों को ही आच्छादित करता है व इसके आँकड़े भ्रामक हैं, अतः हमें एनवल हैल्थ सर्वे के आँकड़ों के अनुसार लिंग अनुपात में परिलक्षित हो रही वृद्धि का संज्ञान लेकर हर्षित नही होना चाहिए। डा0 मीनू सागर, निदेशक, परिवार कल्याण द्वारा अनुपालन आख्या के अन्तर्गत यह भी जानकारी दी गयी कि वर्तमान में जननी सुरक्षा योजना की प्रगति रिपोर्ट में लिंग अनुपात के आँकड़े प्राप्त नही हो रहे हैं, जिस पर श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन / उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से लिंग अनुपात की जानकारी प्राप्त करने हेतु मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रारूप में आवश्यक संशोधन के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0)

एजेण्डा मद संख्याः–02

(वेबसाईट www.pyaribitiya.in की प्रगति का विवरण)

अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की अनुश्रवण व्यवस्था सुदृढ किये जाने के उद्देश्य से विकसित करायी गयी वेबसाईट www.pyaribitiya.in का प्रदर्शन बैठक में उपस्थित मार्ग साफ्टवेयर, लखनऊ के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। वेबसाईट के क्रियान्वयन की प्रगति के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि इस वेबसाईट का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 2014 को किया जा चुका है तथा केन्द्रों से सम्बन्धित विवरण को वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कतिपय जनपदों से प्रपत्र एफ पर ऑनलाईन रिपोर्ट प्राप्त होना भी प्रारम्भ हो चुकी है।

डा0 मनोज गोविला द्वारा कहा गया कि वेबसाईट पर केन्द्रों के विवरण में मशीनों व चिकित्सकों का विवरण भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त होने वाले प्रपत्र–एफ के डाटा की पुष्टि क्षेत्रीय कर्मियों ए0एन0एम0/आँगनवाड़ी/आशा आदि के माध्यम से करायी जानी चाहिए। डा0 गोविला द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए सुझाव दिया गया कि केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण से पूर्व लाभार्थी से पहचान पत्र (आई0डी0) भी लिया जाना चाहिए, जिसका समर्थन डा0 नीलम सिंह द्वारा भी किया गया। बैठक में उपस्थित बोर्ड की सदस्या श्रीमती फसीहा मुराद लारी 'गजाला', मा0 सदस्या, विधान सभा तथा डा0 मधु गुप्ता, मा0 सदस्या, विधान परिषद द्वारा अहमति व्यक्त करते हुए कहा गया कि अल्ट्रासाउण्ड के पूर्व पहचान पत्र लिया जाना उचित नही है। इसके अतिरिक्त डा0 नीलम सिंह, सदस्या द्वारा वेबसाईट पर अपलोड किये गये केन्द्रों के विवरण में त्रुटियों से सम्बन्धित उठाये गये बिन्दु का संज्ञान लेकर बोर्ड के समक्ष जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक केन्द्र के विवरण का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि जनपद स्तरीय पैनल से सही प्रकार से प्रविष्टि न होने के कारण सही जानकारी वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। डा0 मनोज गोविला द्वारा कहा गया कि वेबसाईट पर अपलोड किये गये डाटा के परीक्षण हेतु पृथक से 'संख्याविद् (Statician)' की तैनाती की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 में ऐसा कोई प्राविधान नही है कि बिना पहचान पत्र के किसी लाभार्थी का अल्ट्रासाउण्ड न किया जाये। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि केन्द्रों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण, जिसमें चिकित्सकों व मशीनों का विवरण भी सम्मिलित है, डाटाबेस में उपलब्ध है, परन्तु वर्तमान में विस्तृत विवरण की उपलब्धता

जनपद / मण्डल / राज्य स्तरीय पैनलों तक सीमित है पब्लिक डोमेन में समस्त विवरण की उपलब्धता नही है। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये किः-

- पब्लिक डोमेन में वर्तमान में केन्द्रों से सम्बन्धित उपलब्ध विवरण के साथ-साथ चिकित्सकों व मशीनों के विवरण की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये।

- वेबसाईट में अपलोड किये गय डाटा के परीक्षण हेतु पृथक से संख्याविद् (Statician) की तैनाती किये जाने की आवश्यकता नही है। डाटा परीक्षण व त्रुटियों में सुधार का कार्य मण्डल स्तर पर किया जा सकता है, इस हेतु जनपद स्तरीय पैनलों के माध्यम से वेबसाईट पर अपलोड किये गये केन्द्रों के विवरण का मिलान जनपद स्तरीय अभिलेखों/पत्रावलियों से मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर पर कराया जाये व यदि अपलोड किये गये डाटा में कोई त्रुटि है तो उसमें आवश्यक सुधार किये जायें।

(कार्यवाही महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 व समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0)

लाभार्थी से पहचान पत्र (आई0डी0) लेकर अल्ट्रासाउण्ड किये जाने वाले मुद्दे पर मा0 मंत्री जी/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि डा0 मनोज गोविला, डा0 नीलम सिंह, डा0 मधु गुप्ता व श्रीमती फसीहा मुराद लारी 'गजाला' को सम्मिलित करते हुए एक राज्य स्तरीय समिति गठित कर ली जाये तथा समिति इस मुद्दे पर गुण-दोषों का आँकलन करते हुए अधिनियम में निहित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अपनी रिपोर्ट स्पष्ट संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

(कार्यवाही महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0)

एजेण्डा मद संख्याः-03

(मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 349/2006 वॉल्युण्टरी हैल्थ ऐसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13 जनवरी 2015 को पारित आदेशों की अनुपालन आख्या)

मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 349/2006 वॉल्युण्टरी हैल्थ ऐसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 13 जनवरी 2015 को मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की

जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुपालन के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन के कारण मा0 जनपदीय न्यायालयों में परिवाद योजित करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का एकदिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 24 फरवरी 2015 को ''ज्यूडिशियल ट्रेनिंग एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट, गोमती नगर, लखनऊ'' में सम्पन्न हो चुका है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम् न्यायालय के आदेशानुसार योजित परिवादों की सूची की 75 प्रतियाँ समयान्तर्गत दिनांक 16 जनवरी 2015 को महारजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि निस्तारित व लम्बित केसों का विवरण जनपद स्तर से राज्य स्तर पर मँगा लिया जाये तथा लम्बित वादों के निस्तारण हेतु पुनः एक बार महारजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अनुरोध कर लिया जाये।

(कार्यवाही महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0)

एजेण्डा मद संख्याः–04

(प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति का विवरण)

प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति का प्रस्तुतीकरण डा0 मीनू सागर, निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0/सदस्य सचिव महोदया द्वारा बोर्ड के समक्ष किया गया।

तदोपरान्त श्रीमती फसीहा मुराद लारी 'गजाला', मा0 सदस्या, विधान सभा द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में लगभग 02 वर्ष पूर्व पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर केन्द्रों का निरीक्षण किया गया था उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि एकबार पुनः पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर केन्द्रों का निरीक्षण किया जाये, जिस पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि माह अगस्त 2014 में एक सप्ताह अभियान चलाकर केन्द्रों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें कुल 536 केन्द्रों का निरीक्षण किया गया तथा 23 केन्द्रों पर सीलिंग/सीजर की कार्यवाही भी हुई।

डा0 नीलम सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि बाद में मशीनों की सील पुनः खुल जाती है, जिस पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड का ध्यान अधिनियम की धारा 20(1) व 20(2) की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराया गया कि निरीक्षण उपरान्त सम्बन्धित को ''कारण बताओ नोटिस'' निर्गत किये जाने व उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने का प्राविधान अधिनियम में है। यदि कारण बताओ नोटिस के उत्तर व सुनवाई के उपरान्त समुचित प्राधिकारी सम्बन्धित के उत्तर से सन्तुष्ट हो जाते हैं तो वह मशीनों की सील खोलने के आदेश भी पारित कर सकते हैं। डा0 नीलम सिंह द्वारा कहा गया कि अधिनियम की धारा 20(3) के अनुसार 'कारण बताओ नोटिस' की कोई आवश्यकता नही है, जिस पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिनियम की धारा 20(3) में यह प्राविधान है कि जनहित में बिना कारण बताओ नोटिस निर्गत किये

केन्द्र का पंजीकरण निलम्बित किया जा सकता है, जिसमें यह भी लिपिबद्ध करना आवश्यक है कि केन्द्र का पंजीकरण निलम्बित करने के पूर्व जनहित में ऐसे क्या कारण थे कि कारण बताओ नोटिस निर्गत नही किया गया। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि धारा 20(3) के अन्तर्गत बिना कारण बताओ नोटिस के पंजीकरण को मात्र निलम्बित किया जा सकता है निरस्त नही किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि माह अगस्त 2014 में चलाये गये अभियान के दौरान जिन केन्द्रों पर सीलिंग/सीजर की कार्यवाही हुई थी, के उपरान्त समुचित प्राधिकारी के स्तर पर की गयी कार्यवाही का विवरण राज्य स्तर पर मँगा लिया जाये।

(कार्यवाही महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0)

तदोपरान्त डा0 नीलम सिंह, मुख्य कार्यकारी, वात्सल्य, लखनऊ द्वारा उन्हें राज्य निरीक्षण एवं अनुश्रवण समिति में से हटाये जाने के मुद्दे को उठाते हुए जानकारी चाही गयी कि उन्हें राज्य निरीक्षण एवं अनुश्रवण समिति से क्यों हटाया गया है, जिस पर डा0 मीनू सागर, निदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0/सदस्य सचिव महोदया द्वारा बोर्ड के समक्ष जानकारी दी गयी कि राज्य स्तरीय निरीक्षण एवं अनुश्रवण समितियों में नामित कई अधिकारी सेवानिवृत्त अथवा स्थानान्तरित हो गये थे, जिसके चलते परिवार कल्याण महानिदेशालय में तैनात संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए 03 राज्य निरीक्षण एवं अनुश्रवण समितियों का पुर्नगठन किया गया है। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि अधिनियम में राज्य स्तरीय निरीक्षण एवं अनुश्रवण समितियों के गठन की कोई विशेष व्यवस्था वर्णित नही है, जिसके चलते गैर सरकारी संगठनों को राज्य स्तरीय निरीक्षण एवं अनुश्रवण समिति में नामित करना अनिवार्य हो।

श्रीमती फसीहा मुराद लारी 'गजाला' द्वारा भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि प्रभावी कार्यवाही हेतु यह आवश्यक है कि निरीक्षण टीमों के भ्रमण की जानकारी ज्यादा लोगों को न रहे। अतः इस तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए उनके द्वारा निरीक्षण टीमों में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित न किये जाने पर बल दिया गया।

मा0 मंत्री जी/अध्यक्ष महोदय द्वारा मामले की पूर्ण जानकारी लेने के उपरान्त स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये कि केन्द्रों के निरीक्षण में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित न किया जाये। केन्द्रों का निरीक्षण सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाये व निरीक्षण एवं अनुश्रवण समितियों में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में नामित न किया जाये।

तदोपरान्त डा0 नीलम सिंह, मुख्य कार्यकारी, वात्सल्य, लखनऊ द्वारा कहा गया कि जनपद लखनऊ में अभी भी अपंजीकृत केन्द्रों का संचालन हो रहा है, जिस पर डा0

मीनू सागर, निदेशक, परिवार कल्याण द्वारा डा0 नीलम सिंह से अपंजीकृत केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। जनपद लखनऊ से सम्बन्धित अपंजीकृत केन्द्रों की सूची के सम्बन्ध में बैठक के दौरान मौखिक रूप से डा0 नीलम सिंह द्वारा जानकारी दी गयी कि अपंजीकृत केन्द्रों की सूची उनके द्वारा जिला–मजिस्ट्रेट, लखनऊ को उपलब्ध करायी जा चुकी है। तदोपरान्त उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जनपद बागपत में भी ऐसे केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड व लिंग चयन का कार्य हो रहा है, जिसे सील किया जा चुका है तथा आज दिनांक 21 अप्रैल 2015 को भी उस केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड हुआ है, जिसकी रिपोर्ट भी उनके पास उपलब्ध है। तदोपरान्त जनपद बागपत से सम्बन्धित मामले में उनके द्वारा बैठक के दौरान 02 पृष्ठ (पृष्ठ 01– डा0 एस0के0 शर्मा, रामकली देवी मैमोरियल अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर, बस स्टैण्ड किशनपुर, बिरल, बागपत द्वारा श्रीमती पूनम, उम्र–25 वर्ष के दिनांक 21 अप्रैल 2015 को किये गये अल्ट्रासाउण्ड की रिपोर्ट की प्रति व पृष्ठ–2 पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के क्रियान्वयन सम्बन्धी रिपोर्ट की प्रति) श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन/उपाध्यक्ष महोदय को उपलब्ध कराये गये, जिसे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा डा0 मीनू सागर, निदेशक, परिवार कल्याण/सदस्य सचिव महोदया को हस्तगत् करते हुए प्रकरण की जाँच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0)

एजेण्डा मद संख्याः–05

(हरियाणा राज्य की भाँति उत्तर प्रदेश में भी बहुसदस्यीय जिला समुचित प्राधिकरण का गठन)

डा0 मीनू सागर, निदेशक, परिवार कल्याण / सदस्य सचिव महोदया द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरियाणा राज्य में जनपद स्तर पर भी बहुसदस्यीय जिला समुचित प्राधिकरण सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित है। अतः हरियाणा की भाँति उत्तर प्रदेश में भी बहुसदस्यीय जिला समुचित प्राधिकरण का गठन जिला–मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि एक से अधिक समुचित प्राधिकारी नामित किया जाना उचित नही होगा। डा0 नीलम सिंह द्वारा कहा गया कि राज्य स्तर पर अपीलों की सुनवाई होती है, जिस कारण राज्य स्तर पर बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकरण गठित है जनपद स्तर पर अपीलों की सुनवाई नही होती है, अतः जनपद स्तर पर बहुसदस्यीय जिला समुचित प्राधिकरण गठित किया जाना उचित नही है।

मा0 मंत्री जी/अध्यक्ष महोदय द्वारा हरियाणा राज्य की भाँति उत्तर प्रदेश में बहुसदस्यीय जिला समुचित प्राधिकरण गठित किये जाने पर असहमति व्यक्त की गयी।

तत्पश्चात् मा0 मंत्री जी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन / अध्यक्ष, स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड के समस्त सदस्यगणों व प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए निर्देश दिये गये कि:-

- लाभार्थी से पहचान पत्र (आई0डी0) लेकर अल्ट्रासाउण्ड किये जाने वाले मुद्दे पर मा0 मंत्री जी/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि डा0 मनोज गोविला, डा0 नीलम सिंह, डा0 मधु गुप्ता व श्रीमती फसीहा मुराद लारी 'गजाला' को सम्मिलित करते हुए एक राज्य स्तरीय समिति गठित कर ली जाये तथा समिति इस मुद्दे पर गुण-दोषों का आँकलन करते हुए अधिनियम में निहित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अपनी रिपोर्ट स्पष्ट संस्तुति सहित बोर्ड के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
- केन्द्रों के निरीक्षण में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित न किया जाये।
- विभिन्न प्रचार माध्यमों से लिंग चयन व कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु अपील की जाये।
- लखनऊ में पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 पर एक वृहद कार्यशाला/गोष्ठी का आयोजन किया जाये, जिसमें बोर्ड के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाये।
- बोर्ड में नामित विधान सभा व विधान परिषद के मा0 सदस्यगण भी लिंग चयन व कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु अपील करें।
- जनपद स्तरीय कार्यशालाओं/गोष्ठियों में भी स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड के सदस्यों को आमंत्रित किया जाये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या-672/पाँच-9-2015

लखनऊ : दिनाक 03 ~~मई~~, 2015

45

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

2) निदेशक (डा0 मीनू सागर), परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

3) संयुक्त निदेशक (श्री राम अधार), परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

4) समस्त उपस्थित सदस्य एवं अधिकारीगण।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।